दिनांक	आदेश	आदेश के अनुसरण में जारी पत्र की संख्या व तिथि
	अपील संख्या – 4049/2012	

श्री सिद्धराज टकसाली
शंकर भवन,
गोलछा सिनेमा के सामने,
चौडा रास्ता, जयपुर (राज.)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,
औषधि नियंत्रक
राज. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर (राज.)

02-01-2014

1. अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री अजय कुमार जैन उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी ने वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उन्हें अपने आवेदन दिनांकः 29–10–2011 में वांछित जो छाया प्रतियॉ अधिप्रमाणित कर प्रेषित की गई है वह स्वयं राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित न होकर अन्य व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित हैं, इसलिए उन्हें जो सूचना दी गई है वह विधिवत रूप से सही नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इसी आधार पर प्रस्तुत उनकी प्रथम अपील को भी दिनांकः 02–02–2012 को अस्वीकार कर दिया गया था।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 को यदि देखा जाये तो राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह आवेदन प्राप्त करे, शुल्क की मांग करे और जो सूचना देय है वह संबंधित को प्रेषित करे और जो अदेय है वह कारण सहित बताये।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 7 में अधिप्रमाणिकरण का कहीं उल्लेख नहीं है। इसी अधिनियम की धारा 2 (j) में जहां नागरिक के सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है वहीं उपखण्ड (ii) में यह उल्लेखित है कि **"नागरिक दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।"** यह प्रमाणित प्रतिलिपियां भी तभी आवेदक को उपलब्ध करवाई जायेगी जब वह अपने आवेदन में अधिप्रमाणित करने की मांग करे।
7. राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास और पहुंच में समस्त सूचना नहीं होती है, बहुत सारी सूचना उन्हें अपने अधीनस्थों, अपने बराबर के अधिकारियों तथा आवश्यकता पडने पर अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से भी प्राप्त कर देनी होती है। ऐसी सूचना देते समय यह स्थिति भी रहती है कि उनके अधिनस्थ कार्यालयों से सूचना प्रेषित करनी पडे, यथा यदि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राज्य लोक सूचना अधिकारी हो और उन्हें सूचना उप खण्ड अधिकारी के कार्यालय से देनी हो जो राज्य लोक सूचना अधिकारी न भी हो तो वे अपने अधिनस्थ अधिकारी के कार्यालय से अधिप्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर संबंधित आवेदक को प्रेषित कर सकता है और ऐसा प्रेषण किसी भी रूप में अविधिक नहीं है।

Authenticated
Registrar
Raj. Information Commission
JAIPUR

सूचना आयोग
जयपुर

दिनांक	आदेश	आदेश के अनुसरण में जारी पत्र की संख्या व तिथि

8. अपीलार्थी ने AIR 1975 SC 915 का उद्धरण करते हुए लिखा है कि "Where a power is given to do a certain thing in a certain way, the thing must be done in that way or not at all and that other methods of performance one necessarily forbidden."
9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश सभी स्तरों पर अनुपालना होना अनिवार्य है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में यदि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 को देखा जाये तो उसमें तो यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि अधिप्रमाणिकरण राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा होगा, इसलिए उपरोक्त दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर प्रभावी नहीं होता है।
10. अपीलार्थी को समस्त सूचना प्राप्त है उन्हें जो अधिप्रमाणित करके छाया प्रतियां दी गई है वे राज्य लोक सूचना अधिकारी के अधिनस्थ अधिकारी द्वारा करके दी गई है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं की है।
11. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5 (iv) में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता भी ले सकेगा जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। इस दृष्टि से भी यदि देखा जाये कि राज्य लोक सूचना अधिकारी अपने किसी अधिनस्थ अथवा बराबर के सहयोगी से छाया प्रतियों का अधिप्रमाणिकरण करवाया है तो वह किसी भी रूप में अविधिक नहीं है।
12. इस दृष्टि से देखा जाये तो अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं है और यह स्वीकार योग्य नहीं है।
13. अस्तु वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है।
14. उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवम् आयोग की मोहर लगाकर आज दिनांकः 02–01–2014 को पारित किया गया।
15. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सूचना आयुक्त

मिश्रा

Authenticated
Registrar
Raj. Information Commission
JAIPUR